जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 28.06.2024**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 28.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 27.06.2024 को झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत दहेज हत्या के संबंध में मृतका के परिजनो द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश थानाध्यक्ष झिंझाना को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ताः-

1.रोहित पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम म्यान कस्बा बिडौली थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राकेश गौतम थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.है0का0 सुजीत कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.है0का0 प्रदीप कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शाह विलायत में घर में घुसकर जानलेवा हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल फावड़ा व ड़ंडा बरामद।</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 23.06.2024 को इन्तजार पुत्र नन्हा निवासी मौहल्ला शाह विलायत थाना थानाभवन जनपद शामली ने अभियुक्तगण द्वारा उसके बहनोई जुल्फकार के घर में घुसकर जुल्फकार एवं उसके परिवारिजन के उपर जानलेवा हमला करने एवं उपचार के दौरान जुल्फकार की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शाह विलायत में घर में घुसकर जानलेवा हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को मय आलाकत्ल (फावड़ा व डंडा) के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त शमीम को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है,शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता:-</u>

1.साहिल पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला शाहबिलायत थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.फैसल पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला शाहबिलायत थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.गुड्डी पत्नि दिलशाद निवासी मौहल्ला शाहबिलायत थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहास उपरोक्त अभियुक्त/अभियुक्ता:-</u>

1.मु0अ0सं0 212/2024 धारा 147/148/149/452/307/302 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

1.आलाकत्ल 01 फावड़ा (अभियुक्त फैसल से)

2.आलाकत्ल 01 डंडा।(अभियुक्त साहिल से)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>

1.प्र0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार वशिष्ठ थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री राजवीर सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.है0का0 अंकुर निर्वाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.है0का0 हरवेन्द्र सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

5.म0का0 निधी राणा थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 13,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 2009 में अभियुक्त राहुल पुत्र राधेश्याम निवासी मौहल्ला पंसारियान कस्बा व थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 1442/09 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 28.06.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 380 भादवि में सुनाई जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2004 में अभियुक्त रियासत पुत्र रज्जाक निवासी पलडी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 364/2004 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 28.06.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM, कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में सुनाई जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगणः-</u>

1.राहुल पुत्र राधेश्याम निवासी मौहल्ला पंसारियान कस्बा व थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.रियासत पुत्र रज्जाक निवासी पलडी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>